ग्रामीण सेवा शिविर 2025, ग्राम पंचायत 17 जीबी

फार्म नं.— III

फर्द अहकाम

(नियम—26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी — मुकाम श्रीविजयनगर

ग्रामवासी 16 जीबी शकरलाल आदि बनाम सरकार

नम्बर 428 सन् 2025

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/531

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
18.10.2025	प्रार्थीगण की ओर से ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी चक 16 जीबी खाता सं. 1 में प.नं. 159/392 मु.नं. 9 कि.नं. 8/.253, 9/.227, 10/0.038है. 0.518है. नहरी आराजीराज दर्ज है जबकि उक्त रकबा पूर्व जमाबंदी अनुसार हड्डारोहडी था। उक्त रकबे में से कि.नं. 9/.114, 8/.253 कुल 0.367है. रकबा शमशान भूमि के काम आ रहा है। कि. नं. 9/.114, 8/.253 को शमशान व कि.नं. 9/.113, 10/.038 कुल 0.151है. भूमि को हडडारोडी किये जाने हेतु निवेदन किया। पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/3362 दिनाक 14.10.2025 के रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूमि हड्डारोड़ी को आवंटन होकर संवत 2072—75 की सेग्रीगेशन से पूर्व की जमाबंदी तक हड्डारोडी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। सेग्रीगेशन के समय उक्त रकबा संहबन से आराजीराज दर्ज हो गया, जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को खाता सं. 1 में पुनः हड्डारोहडी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने तदुपरान्त 0.367है. भूमि को गै.मु. शमशान के नाम आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है। पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड में भूमि आराजीराज दर्ज है, जो कि सेग्रीगेशन के समय संहबन से अंकित हो गया है अतः तहसीलदार श्रीविजयनगर के रिपोर्ट के आधार पर शुद्धि की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 16 जीबी खाता सं. 1 में प.नं. 159/392 मु.नं. 9 कि.नं. 8/.253, 9/.227, 10/0.038है. 0.518है. नहरी आराजीराज को दुरूस्त कर रिकार्ड में गै.मु. हड्डारोड़ी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर को दिए जाते है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करते के उपरान्त हडडोरोडी को निरस्त कर शमशान हेतु भूमि आवंटन प्रस्ताव नए सिरे से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय मजमा—ए—आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:15:42 IST
Reason: SelfAttested